

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०१० (आज की तिथि के)

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रामनारायण सिंह 2. वर्तमान धारित पद सहायक प्रबंधक (सांख्यिक)
 3. वर्तमान वेतन 8825/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख अक्टूबर 2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौर		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उप. पूरा तहसीली जिला-मुसाफरगढ़ (इं.प्र.)	कच्चा मकान 0.50 एकड़, 1.50 एकड़ एवं पक्का मकान 0.25 एकड़, 1.00 एकड़			स्वयं के नाम पर	पै रि का सम्पत्ति	निवाल (कम नहीं)	
11		13.867 (एकड़) का संपत्ति	66.56 लाख	11	11	2.75 लाख	अधिक संपत्ति का मूल्य 4.80 लाख प्रति एकड़
	और	14.617 एकड़	78.06 लाख		और	2.75 लाख	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवाना पत्र घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभाविक को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित अचल सम्पत्ति के व्यौर दें।

हस्ताक्षर
 नाम
 पद
 (सहायक प्रबंधक (सांख्यिक))